(181)

II/पुनर्विलोकन/अशोक नगर/भू-रा/2017/1613

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2017 पुर्नविलोकन

श्री सूरज सिंह लोधी-एड
द्वारा आज दि. 31/5/17 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 31/5/17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

गजराज सिंह पुत्र मगल सिंह आयु– 60 साल जाति लोधी, धंधा खेती निवासी–ग्राम मोहरी तहसीह पिपराई, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

––––––––आवेदक

बनाम

1– अकलवती पत्नी बादाम आयु–27 साल जाति अहिरवार धंधा खेती

2– राजस्व निरीक्षक वृत्त–1 तारई, तहसील पिपराई, जिला अशोक नगर (म.प्र.)

3– मध्य प्रदेश शासन द्वारा पटवारी ग्राम मोहरी तहसील पिपराई, जिला अशोक नगर (म.प्र.)

––––––अनावेदकगण

पुर्नविलोकन आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा– 51 म.प्र.भू राजस्व संहिता–1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 2.5.2017 पारित द्वारा सदस्य राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर प्रकरण कमांक 1890–दो/2016 निगरानी

सूरज सिंह लोधी
(एडवोकेट)

माननीय,

आवेदक का पुर्नविलोकन आवेदन–पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत है:–

प्रकरण के तथ्य:–

संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम मोहरी तहसील पिपराई में स्थित भूमि सर्वे कमांक 24/3 रकबा 1.272 हैक्टर का आवेदक रिकार्डेड भूमिस्वामी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक दो/रिव्यु/अशोकनगर/भू–रा./2017/1613

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
27.7.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री सूरज सिंह लोधी उपस्थित । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों पर विचार किया गया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1890–दो/16 में पारित आदेश दिनांक 2.05.17 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक दो/रिव्यु/अशोकनगर/भू–रा./2017/1613 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। 4– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1890–दो/16 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 2.05.17 से किया जा चुका है। 5– रिव्यु प्रकरण कमांक दो/रिव्यु/अशोकनगर/भू–रा./2017/1613 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्‌यमान होने पर ही आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:– अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय	

जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब–अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई ठोस आधार नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राहय किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों। प्रकरण दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य